तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18-05-26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जवाब देने से इंकार किया। अतः उनका जवाब बन्द किया जाता है। बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन किया गया। जिससे हम इस नतीजे पर पहुंचे है कि विवादित भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन नहीं हुआ है। अतः सह-खातेदारान का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाना वाजिब है। अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में प्रतीत नहीं होता है। चूंकि पक्षकारान सहखातेदार है तथा उनके हकों का निर्धारण दावे में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात एवं गुणावगुण के आधार पर हो सकेगा। तब तक अन्य सह-खातेदारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं पाते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिया अंतर्गत धारा 212 राभूअ इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो, तथा संलग्न मूलवाद हो। उपखण्ड अधिकारी पसावर (भरतपुर) राज.